<u>सुगम्यता का मार्ग: दिव्यांगता अधिकारों हेतु अदालतें</u>

<u>इस संस्करण के बारे में</u>

'*सुगम्यता का मार्ग: दिव्यांगता के अधिकारों हेतु अदालतें*' नामक यह सार-संग्रह पहले के खंड की निरंतरता में जारी किया जा रहा है, जिसमें भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों को संकलित किया था। इस अद्यतन संस्करण में अगस्त 2023 और जून 2025 के बीच सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए उल्लेखनीय निर्णय शामिल हैं, जो दिव्यांगता के अधिकारों पर विकसित हो रहे कानूनी परिदृश्य को दर्शाते हैं। इसमें शामिल निर्णय मुख्य रूप से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और जहां प्रासंगिक हो, उसके पूर्ववर्ती-निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 से संबंधित हैं।

यह संसाधन एक उपयोगकर्ता के अनुकूल कानूनी आधार के रूप में वांछनीय है - विशेष रूप से दिव्यांगजनों, देखभाल करने वालों, सरकारी अधिकारियों, विधि व्यवसायियों और सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए - ताकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और इससे संबंधित कानून के तहत गारंटीकृत अधिकारों, हकदारियों और सुरक्षाओं के बारे में कानून और अदालतों की व्याख्याओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। यह सरल अंग्रेजी में तैयार किए गए सार-संग्रह का हिंदी अनुवाद है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक ध्यान दिया गया है कि न्यायालयों की टिप्पणियों का सार बना रहे। इसमें शामिल सभी निर्णय सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं जिन्हें सबंधित कोर्ट केस (मामले) के विवरण का उपयोग करके देखा जा सकता है।

<u>रूपरेखा और दृष्टिकोण – सर्वोच्च न्यायालय</u>

इस पुस्तिका में भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर विधि की मौजूदा स्थिति को दर्शाया और समाहित किया गया है। यह इस विषय पर प्राथमिक विधान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उल्लेखनीय निर्णयों के सारांश के तुलना के माध्यम से किया जाता है। यह मौजूदा कानून हाल ही के होने के कारण, इसमें, इसके पूर्ववर्ती, निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रगतिशील निर्णयों को भी शामिल किया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा गया है कि इस पुस्तिका में केवल वे अधिकार और कर्तव्य शामिल हों जो न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं और जिन्हें देश में लागू करने के लिए अच्छा कानून माना जाता है। इसमें शामिल निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र(डोमेन) में हैं और इस पुस्तिका में दिए गए संबंधित पक्षकारों के नाम जैसे केस के विवरण दर्ज करके, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। इसे उचित सावधानी के साथ सरल हिंदी में अनुवाद कर तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालय की टिप्पणियों के सार से कोई समझौता नहीं हो। इसे बड़े पैमाने पर जनता, विशेष रूप से दिव्यांगजनों द्वारा उनके लिए बनाए गए कानून, अधिकारों और कर्तव्यों को उनकी संबंधित व्यक्तिगत या व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझने के लिए, प्रारंभक के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है।

<u>रूपरेखा और दृष्टिकोण – उच्च न्यायालय</u>

भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संबंध में दिए गए उल्लेखनीय निर्णयों के संकलन के अलावा, यह पुस्तिका दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा सुनाए गए उल्लेखनीय निर्णयों को भी संकलित करती है। उपरोक्त कारणों से, इस पुस्तिका में शामिल निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 से संबंधित और इसके पूर्ववर्ती, निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत प्रगतिशील निर्णयों से संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित कानून पर केंद्रित हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का मूल्यांकन निम्नलिखित तीन मानदंडों में किया गया थाः

(क) जिस निर्णय में किसी उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ किसी ऐसे विषय से संबंधित हैं जिस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले विचार नहीं किया गया है और वह निर्णय कानून की स्थिति को निर्धारित करता है।

(ख) ऐसा निर्णय जिसमें उच्च न्यायालय ने सूक्ष्म विवरणों को स्पष्ट किया हो या जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित हो, जिससे इसे पूरक बनाया जा सके और इसके कार्यान्वयन में सहायता मिले।

(ग) ऐसा निर्णय, जिसमें उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को, उस संदर्भ से अलग संदर्भ में लागू करता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था।

इस पुस्तिका में केवल वे निर्णय शामिल किए गए हैं जो उपरोक्त मानदंडों में से किसी एक या अधिक को पूरा करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा गया है कि इस पुस्तिका में केवल वे अधिकार और कर्तव्य शामिल हों जो उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं और जिन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार में लागू करने के लिए अच्छा कानून माना जाता है। इसमें शामिल निर्णय पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इस पुस्तिका में दिए गए अनुसार संबंधित

पक्षकारों के नाम जैसे केस के विवरण दर्ज करके, विभिन्न उच्च न्यायालय की संबंधित वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। इसे उचित सावधानी के साथ सरल हिंदी में अनुवाद कर तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालय की टिप्पणियों के सार से कोई समझौता नहीं हो । इसे बड़े पैमाने पर जनता, विशेष रूप से दिव्यांगजनों द्वारा उनके लिए बनाए गए कानून, अधिकारों और कर्तव्यों को उनकी संबंधित व्यक्तिगत या व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझने के लिए प्रारंभक के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है।

संक्षेपण

- **HC:** उच्च न्यायालय
- **MH अधिनियम, 2017:** मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017
- **MH अधिनियम, 1987:** मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 1987
- **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999:** स्वपारायण, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999
- **PwD अधिनियम, 1995:** निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
- **RPwD अधिनियम, 2016:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- **SC:** भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- **UNCRPD:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

अस्वीकरण:

1. यह संकलन केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह या आधिकारिक कानूनी रिकॉर्ड नहीं है। पाठकों को विशेष रूप से मुकदमेबाजी, नीति कार्य या शैक्षणिक लेखन में उपयोग के लिए प्राथमिक स्रोतों से प्रत्येक निर्णय की वर्तमान स्थिति, उद्धरण और प्रयोज्यता को सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

2. सारांश सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालयों की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध निर्णयों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संस्करणों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं, और हमारी समझ के अनुसार 15 जून 2025 तक सटीक रहे हैं। इस तिथि के बाद प्रकाशित निर्णय या घटनाक्रम, या जो पहले जारी किए गए थे लेकिन बाद में ही सार्वजनिक रूप से सुगम्य हो गए थे, उन्हें इस खंड में शामिल नहीं किया गया है।
3. केवल सार्थक तरीके से कानून की व्याख्या करने या लागू करने वाले ठोस निर्णयों को शामिल किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की रूपरेखा के तहत बिना किसी ठोस कानूनी तर्क वाले अंतरिम आदेशों, प्रक्रियात्मक निर्णयों या निर्णयों को शामिल नहीं किया गया है।

<u>**भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के सारांश का संकलन**</u>

क्रम सं.	वर्ष/ पीठों (बैंच) का आकार	प्रासंगिक कानूनी प्रावधान	निर्णय का सार	अधिकार	टैग
1.	2025, डिविजन बेंच	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 2(ग), 2(म), 3, 13(1), 21(1), 32, 34, 40, 42, 46**	***प्रग्या प्रसून एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2025) INSC 599: MANU/SC/0605/2025*** यह याचिका *डिजिटल नो योर कस्टमर (के. वाई. सी.)* प्रक्रिया के लिए सुगम्य विकल्पों की मांग करते हुए दायर की गई थी, विशेष रूप से उन दिव्यांगजनों के लिए जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं और चेहरे या आंख की स्थायी विकृति से पीड़ित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि जबकि डिजिटल केवाईसी ने दक्षता में सुधार किया है, फिर भी यह डिजाइन संबंधी बाधाओं के कारण कई दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक नहीं है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को स्क्रीन रीडर के प्रयोग में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है; गतिशीलता बाधित व्यक्ति सेल्फी या हस्ताक्षर कैप्चर अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं; और संज्ञानात्मक दिव्यांगता वाले उपयोगकर्ता जटिल इंटरफेस के साथ संघर्ष करते हैं। इन बाधाओं के परिणामस्वरूप वे आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत मिले समानता, गरिमा और गैर-भेदभाव के अधिकारों का उल्लंघन होता है।	• दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता और समावेशी डिजिटल सेवाओं का अधिकार	**डिजिटल सुगम्यता, वित्तीय समावेशन, उचित आवास**

			सर्वोच्च न्यायालय ने वेब सामग्री सुगम्यता दिशानिर्देशों और सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप समावेशी डिजिटल केवाईसी दिशानिर्देशों के निर्माण का निर्देश दिया था। इसने इस बात पर जोर दिया कि उनके कानूनी दायित्वों को बनाए रखने और उन्हें हाशिए पर जाने से रोकने के लिए उचित आवास को डिजिटल सत्यापन प्रणालियों में एकीकृत किया जाना चाहिए।		
2.	2025, डिविजन बेंच	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा लागू नही|**	***रजीब कलीता बनाम भारत संघ 2025 INSC 75: MANU/SC/0072/2025*** एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें भारत भर के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बुनियादी शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश देने की मांग की गई थी| । उसमें यह कहा गया कि सुगम्य स्वच्छता की कमी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और गरिमा को बनाए रखने के लिए संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को सभी न्यायालय परिसरों में इनके लिए अलग और सुलभ शौचालयों का निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसने अभिनिर्धारित किया कि ऐसी सुविधाओं को स्पष्ट रूप से चिहिनत किया जाना चाहिए और न्यायाधीशों, वकीलों, वादियों और कर्मचारियों सहित दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य होना चाहिए। इस निर्देश के कार्यान्वयन के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक उच्च	• न्यायालय और न्यायाधिकरण परिसर में दिव्यांगजनों के लिए सुलभ शौचालय सुविधाओं का अधिकार	**सुगम्यता, अवसंरचना**

			न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आदेश दिया। इस समिति में राज्य के अधिकारी, न्यायालय के प्रतिनिधि और विधि परिषद (बार) के सदस्य शामिल होंगे, और इसे स्वच्छता पहुंच सुनिश्चित करने और अनुपालन की निगरानी के लिए छह सप्ताह के भीतर एक व्यापक योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है।		
3.	2024, 3 न्यायाधीशों वाली पीठ (बैंच)	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 2(ख), 2(यङ), 41, 42, 43, 44, 45, 46, 89, 100**	**राजीव रतूरी बनाम भारत संघ** *2024 INSC 858: MANU/SC/1618/2017* यह मामला दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सुगम्यता अधिकारों की प्रवर्तनीयता से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 का नियम 15 - जो सुगम्यता दिशानिर्देशों को केवल अनुशंसा के रूप में मानता है – यह मूल कानून के अधिकारातीत था। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि सुगम्यता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रयोग का अभिन्न अंग है। इसने देखा कि सुगम्यता में शारीरिक वातावरण, परिवहन, सूचना, संचार और डिजिटल प्लेटफार्म शामिल हैं, और ये आम जीवन में दिव्यांगजनों की पूर्ण और स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सुगम्यता एक 'स्टैंडअलोन' अलग से अधिकार नहीं है बल्कि मौजूदा मानव अधिकारों का आनंद उठाने के लिए आवश्यक स्थिति है।	• मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में सुगम्य सार्वजनिक स्थान, सेवाओं और सूचना का अधिकार	**सुगम्यता, समानता, गरिमा, सार्वजनिक अवसंरचना, मौलिक अधिकार**

			सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय लेखपत्रों का संदर्भ लेते हुए देखा कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में प्राप्त मान्यता के अनुसार, सुगम्यता गति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का आनंद लेने हेतु व्यक्ति को सक्षम बनाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि करते हुए कहा कि औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं है, और वास्तविक समानता के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि दिव्यांगजनों के अधिकारों को सार्थक बनाया जा सके।		
4.	2024, 3 न्यायाधीशों वाली पीठ	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 2, 2(ज), 2(ध), 2(म), 3, 21, 25, 32**	***ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक 2024 INSC 836: MANU/SC/1172/2024*** याचिकाकर्ता, जो एक दिव्यांग व्यक्ति है, ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) से शुरुआत करते हुए चिकित्सा शिक्षा में सुगम्यता और उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तन की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सुगम्यता संबंधी दायित्व आवेदन के चरण से लेकर प्रवेश और मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक जीवन तक विस्तृत हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि नीट के आवेदन पोर्टलों में भाग लेने वाले मेडिकल कॉलेजों की सुगम्यता संबंधी अनुपालन स्थिति के बारे में अवश्य बताना चाहिए ताकि भावी दिव्यांग छात्रों को विकल्पों के बारे में सूचित किया जा सके। एक बार दाखिला हो जाने के बाद, विश्वविद्यालय	• चिकित्सा शिक्षा में सुगम्यता, विकल्प के बारे में सूचित करने, और उचित व्यवस्था का अधिकार	**नीट, उच्चतर शिक्षा, परीक्षा, उचित व्यवस्था**

			अनुदान आयोग द्वारा अधिदेशित अनुसार – 'एनेबलिंग यूनिट' – नैदानिक व्यवस्थाओं और सहायता के लिए संपर्क हेतु समर्पित बिंदु के रूप में कार्य करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिए कि समान अवसर प्रकोष्ठ के साथ इन एनेबलिंग यूनिट का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रवेश पुस्तिकाओं, कॉलेज की वेबसाइट और संस्थागत नीतियों के माध्यम से स्पष्ट प्रचार किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल पेशे में दिव्यांगजनों के समावेश से भाईचारा मजबूत होता है और अनुच्छेद 14, 15, 19, और 21 के तहत संवैधानिक गांरटियां बढ़ती हैं।		
5.	2024, 3 न्यायाधीशों वाली पीठ	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 2(ड़), 2(द), 2(म), 3, 15, 32**	***ओमकार रामचंद्र गोंड बनाम भारत संघ एवं अन्य 2024 INSC 775: MANU/SC/1110/2024*** याचिकाकर्ता, जो 40% से अधिक वाक् एवं भाषा दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति हैं, को ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन के तहत मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मात्र बेंचमार्क दिव्यांगता के आधार पर किसी अभ्यर्थी को बिना व्यक्तिगत मूल्यांकन के पात्रता के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 41 की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के लिए यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या किसी उम्मीदवार की दिव्यांगता वास्तव में किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु उनकी क्षमता में बाधा डालती	• दिव्यांगजनों के आरक्षण का अधिकार	**नीट, आरक्षण, उच्चतर शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, दिव्यांगता का मूल्यांकन**

			है। केवल परिमाणीकरण के आधार पर पूरी तरह से अयोग्य ठहराना असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करके समानता के आदेश का उल्लंघन करता है। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड को इस बात का तर्कसंगत मूल्यांकन प्रदान करना चाहिए कि क्या किसी अभ्यर्थी की दिव्यांगता किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगी। किसी अभ्यर्थी को केवल दिव्यांगता के प्रारंभिक प्रतिशत से अधिक होने के आधार पर अयोग्य नहीं माना जा सकता है।		
6.	2023, डिविजन बेंच	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 2(द), 2(ध), 2(म), 33, 34**	***मोहम्मद इब्राहिम बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं अन्य 2023 INSC 914: MANU/SC/1147/2023*** याचिकाकर्ता, जिसे वर्णांधता के कारण रोजगार से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, ने भेदभाव के आधार पर इस कार्रवाई को चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत उचित व्यवस्था का सिद्धांत उन स्थितियों पर भी लागू होता है जिन्हें बेंचमार्क दिव्यांगताओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वर्णांधता को अपवर्जन का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, जब तक कि यह आकलन न किया जाए कि क्या यह स्थिति वास्तव में उनके कार्यनिष्पादन में बाधा डालती है और क्या उनका उस कार्य में समायोजन संभव है। सर्वोच्च न्यायालय ने	• रोजगार में उचित व्यवस्था और गैर-भेदभाव का अधिकार	**रोजगार, वर्णांधता, भेदभाव, उचित व्यवस्था**

			दोबारा से यह कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत समानता, गरिमा और भागीदारी के अधिकार में नियोक्ताओं पर यह कर्तव्य शामिल है कि वे उचित संशोधन करें, जब तक कि ऐसा करने से असंगत बोझ न पड़े। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पूर्ण लाभ के साथ बहाल करने का निर्देश दिया, तथा कहा कि उन्हें, उचित व्यवस्था किए बिना, उन्हें पूरी तरह अयोग्य ठहराना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत गैर-भेदभाव अधिदेश का उल्लंघन है।		

<u>भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के सारांश का संकलन</u>

क्रम सं.	वर्ष/ पीठों (बैंच) का आकार	प्रासंगिक प्रावधान	सारांश / निर्णय का लिंक	अधिकार	टैग
1	2025, केरल उच्च न्यायालय, डिविजन बेंच	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा** लागू नहीं।	**जिला अधिकारी, केरल पुलिस सेवा आयोग और अन्य बनाम सरिता एस. बाबू और अन्य, डब्ल्यूए सं. वर्ष 2014 का 1731 और वर्ष 2015 का 225** केरल उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या गतिशील दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी को जिला सहकारी बैंक, तिरुवनंतपुरम में दिव्यांगजनों के लिए 3% आरक्षण के तहत किसी अन्य दिव्यांगता श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने माना कि निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 36 के अनुसार, यदि किसी विशेष दिव्यांगता की श्रेणी में कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो रिक्ति को अगले भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। श्रेणियों के बीच आदान-प्रदान की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब अगले वर्ष, तीन अधिसूचित दिव्यांगता श्रेणियों में से किसी में कोई उपयुक्त अभ्यर्थी न मिले। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समय से पहले आदान-प्रदान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्षैतिज	• रोजगार का अधिकार • आरक्षण का अधिकार	**आरक्षण, रोजगार**

			आरक्षण के पीछे की विधायी मंशा का उल्लंघन है। तदनुसार, उम्मीदवार की अपील को खारिज कर दिया गया और केरल लोक सेवा आयोग की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसमें अंतर-श्रेणी समायोजन पर विचार करने से पहले रिक्तियों को आगे बढ़ाने के कर्तव्य की पुष्टि की गई।		
2	2025, मद्रास उच्च न्यायालय, खंड पीठ	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 20, 20(4), 76**	**भारत संघ एवं अन्य बनाम ए. मारीमुथु एवं अन्य डब्ल्यू.ए. संख्या *1864/2024* और सी.एम.पी. संख्या *13470/2024*** मद्रास उच्च न्यायालय ने इस पर विचार किया कि क्या रेलवे सुरक्षा बल के किसी ऐसे कर्मचारी, जो सेवा के दौरान दिव्यांग हो गया हो, का वेतनमान 2,400 रुपये से घटाकर 1,900 रुपये किया जा सकता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 और गीताबेन रतिलाल पटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर, हाईकोर्ट ने माना कि सेवा के दौरान दिव्यांगता प्राप्त करने वाले किसी भी कर्मचारी को केवल इसी आधार पर पदावनत या बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। यदि कर्मचारी अपने मूल कर्तव्यों के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो नियोक्ता को उन्हें समान वेतनमान और लाभों के साथ वैकल्पिक पद पर पुनः नियुक्त करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया	• सेवा के दौरान दिव्यांगता प्राप्त करने के बाद भी निरंतर रोजगार और समान वेतन का अधिकार	**रोजगार**, **वेतनमान**, **बिना-भेदभाव**

			और कर्मचारी को बिना-भेदभाव और समान वेतन के अधिकार की पुष्टि करते हुए वैधानिक आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया।		
3	2025, उड़ीसा उच्च न्यायालय, खंडपीठ	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 2(ध), 14**	**एपारी सुषमा बनाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं अन्य रिट याचिका (सिविल) संख्या 24656/2024** याचिकाकर्ता ने अपने पति का कानूनी अभिभावक घोषित करने की मांग की, जो मस्तिष्क की चोट के बाद स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में था। वयस्क दिव्यांगजनों के लिए अभिभावक नियुक्त करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 या किसी अन्य कानून के तहत वैधानिक प्रावधानों की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने पैरेंस पैट्रिया क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया। अरुणा शानबाग और शोभा गोपालकृष्णन जैसे फैसलों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि लंबे समय तक अक्षमता के मामलों में, वह ऐसे व्यक्तियों के जीवन, सम्मान और संपत्ति की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। याचिकाकर्ता को सबसे स्वाभाविक अभिभावक के रूप में मान्यता देते हुए, उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को औपचारिक रूप से उसकी कानूनी अभिभावकता को स्वीकार करने का निर्देश दिया और भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए व्यापक निर्देश जारी किए।	• कानूनी संरक्षकता का अधिकार	**कानूनी क्षमता, संरक्षकता, गरिमा**

			इस निर्णय ने एक महत्वपूर्ण विधायी कमी को पूरा किया, इस बात की पुष्टि की कि न्यायालय कमजोर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, यहां तक कि वहां भी जहां वैधानिक चुप्पी कायम रहती है।		
4	2025, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, एकल न्यायाधीश पीठ	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 2, 2(द), 2(ध)** **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017: नियम 18(3)**	**ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम अंकुश सैकिया और अन्य *WA/194/2024*** उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या प्रतिवादी, जिसके पास 55% श्रवण बाधिता दर्शाने वाला अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र था, ओएनजीसी में जूनियर तकनीशियन (डीजल) के पद पर दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र था। न्यायालय ने माना कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत "दिव्यांगजन" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति में दीर्घकालिक शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता होनी चाहिए। चूंकि प्रतिवादी के प्रमाण पत्र ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) के तहत परिभाषित स्थायी स्थिति या बेंचमार्क दिव्यांगता स्थापित नहीं की थी, इसलिए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वह दिव्यांगता कोटे के तहत आरक्षण का हकदार नहीं था। प्रतिवादी को नियुक्त करने के एकल न्यायाधीश के निर्देश को रद्द कर दिया गया और रिट याचिका खारिज कर दी गई।	• आरक्षण का अधिकार,	**रोजगार, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बेंचमार्क दिव्यांगता, आरक्षण**

5	2025, पटना उच्च न्यायालय	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 2, 2(ज), 2(द), 3, 3(3), 32, 33, 34, 57, 58, 100 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017: नियम 2(1), 3**	**दुर्गेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या *2673/2021*** पटना उच्च न्यायालय ने इस बात की जांच की कि क्या समाप्त हो चुके या अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित पद पर चयन वैध है, और क्या स्थायी दिव्यांगता वाले उम्मीदवार का श्रेष्ठता का दावा उचित है। हाईकोर्ट ने पाया कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने गलत तरीके से एक ऐसे उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी, जिसके पास एक अमान्य अस्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र था। यह याचिकाकर्ता के प्रति भेदभाव था, जिसके पास स्थायी दिव्यांगता का वैध प्रमाणपत्र था। हाईकोर्ट ने माना कि इस तरह की प्रशासनिक अनदेखी ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और भर्ती मानदंडों दोनों का उल्लंघन किया है, और याचिकाकर्ता को व्याख्याता के रूप में तत्काल नियुक्ति का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने बीपीएससी को आंतरिक जांच शुरू करने का आदेश दिया और देरी और प्रक्रियागत अनुचितता के लिए याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया। इसने पुष्टि की कि दिव्यांगता कोटे के तहत पात्रता के लिए वैधानिक परिभाषाओं के अनुपालन और चयन में निष्पक्षता की आवश्यकता होती है।	• रोजगार का अधिकार	**रोजगार, आरक्षण, स्थायी दिव्यांगता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निष्पक्ष प्रक्रिया**

6	2025, राजस्थान उच्च न्यायालय, एकल न्यायाधीश पीठ	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 2, 2(ज), 2(द), 2(ध), 3, 20, 21**	**देवा राम शिवरान बनाम राजस्थान राज्य और अन्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या *4343/2001* और *3500/2006*** याचिकाकर्ता, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) का अभ्यर्थी है, को 40% से कम दृष्टि बाधिता, जो कि मानक दिव्यांगता के रूप में योग्य नहीं था, के आधार पर चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर नियुक्ति देने से इंकार कर दिया गया। हाईकोर्ट ने माना कि इस आधार पर सेवा से बाहर करना मनमाना और भेदभावपूर्ण था। इसने पाया कि याचिकाकर्ता दिव्यांगता श्रेणी के तहत आरक्षण की सीमा को पूरा नहीं करता था, लेकिन उसी शर्त का इस्तेमाल उसे सामान्य श्रेणी के तहत चयन से बाहर करने के लिए नहीं किया जा सकता था। इस तरह की कार्रवाई दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। मेडिकल अस्वीकृति को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को 2006 से पूर्वव्यापी प्रभाव से करने का निर्देश दिया, साथ ही सभी परिणामी सेवा लाभ और 5,00,000 रुपये का मुआवजा भी दिया। फैसले में इस बात की पुष्टि की गई कि आंशिक दिव्यांगता, बेंचमार्क सीमा से बाहर होने पर भी, बहिष्कार का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि वह वास्तविक कार्य-निष्पादन को नुकसान	• रोजगार का अधिकार	**रोजगार, दृष्टि बाधिता, भेदभाव**

			पहुंचाने के लिए साबित न हो जाए।		
7	2025, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, एकल न्यायाधीश पीठ	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 33, 34, 34(1)**	**विक्रम एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य सीडब्ल्यूपी-*12714-2022,* सीडब्ल्यूपी-*1137-2023,* सीडब्ल्यूपी-*12848-2022,* सीडब्ल्यूपी-*12898-2022* ओ एंड एम, सीडब्ल्यूपी-*13023-2022* ओ एंड एम, सीडब्ल्यूपी-*14301-2022,* सीडब्ल्यूपी-*15279-2022,* सीडब्ल्यूपी-*23349-2022,* सीडब्ल्यूपी-*8345-2024* और सीडब्ल्यूपी-*9622-2023*** याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी एक विज्ञापन को चुनौती दी थी, जिसमें सहायक लाइनमैन के पदों को केवल श्रवण बाधितों के लिए आरक्षित किया गया था, तथा एक पैर की दिव्यांगता जैसी चलने-फिरने में अक्षमता वाले उम्मीदवारों को इससे बाहर रखा गया था। हाईकोर्ट ने माना कि दिव्यांगजनों को बाहर रखना मनमाना है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 और 34 का और साथ ही भारत सरकार की 2013 की अधिसूचना (राज्य द्वारा अपनाई गई) जिसमें पद के लिए उपयुक्त श्रेणियों की पहचान की गई है, का उल्लंघन है। इसने फैसला सुनाया कि आरक्षण में सभी अधिसूचित पात्र दिव्यांगता श्रेणियां शामिल होनी चाहिए और इसे कृत्रिम रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।	• रोजगार का अधिकार • आरक्षण का अधिकार	**रोजगार, आरक्षण, गतिविषयक (चलने-फिरने में) दिव्यांगता, श्रवण बाधिता, भेदभाव**

			तदनुसार, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को एक पैर से दिव्यांग उम्मीदवारों पर विचार करने का निर्देश दिया तथा मुकदमे के दौरान राज्य द्वारा दिए गए भ्रामक बयानों के लिए जुर्माना लगाया।		
8	2025, दिल्ली उच्च न्यायालय, खंडपीठ	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 102, 20, 21, 3, 44, 45, 46, 47, 61, 62, 63, 74, 75, 75(1), 76, 76(1), 77, 89** **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017: धारा 8(3)**	**मुकेश कुमार बनाम नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट और अन्य। एलपीए *980/2024*, सीएम एप्लीकेशन *57774/2024*, सीएम एप्लीकेशन *57775/2024*, सीएम एप्लीकेशन *57776/2024*, सीएम एप्लीकेशन *57777/2024* और सीएम एप्लीकेशन *12362/2025*** दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवा मामलों में अंतरिम निर्देश जारी करने में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त (सीसीपीडी) के अधिकार के दायरे की जांच की। याचिकाकर्ता, जो एक दिव्यांगजन है, ने अपने स्थानांतरण को चुनौती दी थी, और सीसीपीडी ने स्थानांतरण पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने माना कि सीसीपीडी को धारा 75(1) के तहत अंतरिम सिफारिशें जारी करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे निर्देश तब तक बाध्यकारी नहीं हैं जब तक कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा उचित इनकार न किया जाए। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीसीपीडी की सामर्थ्य की प्रकृति मुख्य रूप से अनुशंसात्मक है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 76 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा	• सीसीपीडी की शक्तियों का दायरा और सीमाएं	**प्रशासनिक प्राधिकरण, सीसीपीडी, सेवा कानून, प्रक्रियात्मक सुरक्षा**

			उपायों के अधीन है। इस निर्णय में एकल न्यायाधीश के निर्णय को संशोधित करते हुए कहा गया कि सीसीपीडी के आदेश को एक गैर-बाध्यकारी अनुशंसा के रूप में माना जाना चाहिए जिस पर उचित विचार करने की आवश्यकता है। अपील का निपटारा बिना किसी जुर्माने के किया गया।		
9	2025, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, एकल न्यायाधीश पीठ	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 34(2)**	**गुडापति राजेश दिनकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य द्वारा दायर की गई याचिका संख्या *1295/2023*** याचिकाकर्ता, जो एक दृष्टिबाधित पुरुष अभ्यर्थी है, को दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के अंतर्गत स्कूल सहायक के रूप में नियुक्ति देने से इंकार कर दिया गया, जबकि वह अपनी दिव्यांगता श्रेणी की मेरिट सूची में प्रथम स्थान पर था। उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1996 के नियम 22 की प्रयोज्यता की जांच की, जो जहां कोई उपयुक्त महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। वहां महिला कोटे में पुरुष उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुमति देता है। अधिकारियों ने तर्क दिया कि पद को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या आपस में बदला जाना चाहिए। हालांकि, उच्च न्यायालय ने माना कि नियम 22 का प्रावधान लागू था और यह सुनिश्चित किया कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण लिंग-आधारित ऊर्ध्वाधर कोटे के कड़ाई से लागू होने से पराजित न	• आरक्षण का अधिकार	**आरक्षण, दृष्टिबाधित, स्त्री-पुरुष लिंग आधारित कोटा, सेवा नियम**

			हो। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति का निर्देश दिया और अस्वीकृति आदेश को रद्द कर दिया।		
10	2025, मद्रास उच्च न्यायालय, एकल न्यायाधीश पीठ	**निशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995: धारा 47 (एनए)** **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 20(4)**	**जी. सुसींथरन बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (कोयंबटूर) लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक और अन्य द्वारा प्रतिनिधित्व डब्ल्यू.ए. संख्या *301/2025,* डब्ल्यू.ए. संख्या *435/2025,* डब्ल्यू.ए. संख्या *436/2025,* सी.एम.पी. संख्या *3629* और *3631/2025*** याचिकाकर्ता, जो राज्य परिवहन निगम में कार्यरत एक ड्राइवर है, को सेवा के दौरान गंभीर दृष्टि हानि हुई और उसने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20(4) के तहत पुनः नियुक्ति की मांग की। इसके बजाय, नियोक्ता ने जन्मजात स्थिति को छुपाने और अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। उच्च न्यायालय ने माना कि दिव्यांगता रोजगार के दौरान उत्पन्न हुई थी और आरोप ज्ञापन को मनमाना मानते हुए रद्द कर दिया। इसने पुष्टि की कि कोई भी कर्मचारी जो सेवा में रहते हुए दिव्यांगता प्राप्त करता है, उसे बर्खास्त या पदावनत नहीं किया जा सकता है। नियोक्ता ऐसे व्यक्तियों को वेतन और सेवा लाभों की सुरक्षा के साथ उपयुक्त वैकल्पिक पदों पर पुनः नियुक्त करने के लिए बाध्य है।	• रोजगार का अधिकार	**रोजगार, दृष्टिबाधित, सेवा के दौरान दिव्यांगता**

			हाईकोर्ट ने निगम को उचित रोजगार और बकाया वेतन प्रदान करने का निर्देश दिया। कर्मचारी और निगम दोनों की अपीलों का निपटारा कर दिया गया, जिसमें कर्मचारी के वैधानिक अधिकारों की पुष्टि की गई।		
11	2025, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, एकल-न्यायाधीश बेंच	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: की धारा 34,12**	**सिद्धि पाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 2024 की 41374, रिट याचिका संख्या 2025 की 574, रिट याचिका संख्या 2025 की 577, रिट याचिका संख्या 2025 की 6233 और रिट याचिका संख्या 2025 की 6235** याचिकाकर्ताओं, सभी उच्चतर बेंचमार्क दिव्यांगजनों ने चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए कम दिव्यांगता प्रतिशत वाले उम्मीदवारों के चयन को चुनौती दी, जिसमें 2018 के सरकारी परिपत्र का पालन न करने का आरोप लगाया गया, जिसमें उच्चतर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को वरीयता देने पर विचार करना अनिवार्य किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि प्राधिकारी परिपत्र को ठीक से लागू करने में विफल रहे और इसके बजाय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के उद्देश्य को कम करते हुए, पूरी तरह से शैक्षिक योग्यता पर भरोसा किया। इसने माना कि उच्चतर दिव्यांगता प्रतिशत के लिए वरीयता क्षैतिज आरक्षण फ्रेमवर्क के भीतर विशेष रूप से जहां योग्यताएं अन्यथा समान हैं, एक वैध मानदंड है।	• उच्च बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए अधिमान्य नियुक्ति का अधिकार	**रोजगार, आरक्षण**

			उच्च न्यायालय ने विवादित विज्ञापनों और नियुक्तियों को रद्द कर दिया एवं लागू दिव्यांगता कानून तथा आरक्षण नीति के अनुसार राज्य को पदों का पुनः विज्ञापन करने का निर्देश दिया।		
12	2025, बॉम्बे उच्च न्यायालय, डिवीजन बेंच	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: की धारा 2 (ङ)**	**सुयश सूर्यकांत पाटिल बनाम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अपने सचिव और अन्य के माध्यम से 2024 की रिट याचिका संख्या 13072** 40 प्रतिशत से अधिक वाक दिव्यांगता सहित 58 प्रतिशत की बहु दिव्यांगता वाले याचिकाकर्ता को भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) के दिशानिर्देशों के आधार पर नीट - यू.जी. 2024 के तहत एम.बी.बी.एस. में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक वाक और श्रवण दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि शुरू में एक स्थानीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में नीट दिव्यांगता प्रमाणन चिकित्सा बोर्ड (डी.सी.एम.बी.) द्वारा किए गए मूल्यांकन में उन्हें आरक्षण के लिए अयोग्य होने के बावजूद पाठ्यक्रम को करने के लिए सक्षम पाया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार एक वैध प्रमाण पत्र बेंचमार्क दिव्यांगता स्थापित करता है, तो डी.सी.एम.बी. की भूमिका पाठ्यक्रम को पूरा करने की कार्यात्मक क्षमता का मूल्यांकन करने तक सीमित है। यह दिव्यांगता को पुनः प्रमाणित नहीं कर सकता है या एक वैध	• आरक्षण का अधिकार	**नीट, एम.बी.बी.एस. प्रवेश, बेंचमार्क दिव्यांगता, कार्यात्मक क्षमता, चिकित्सा शिक्षा**

			प्रमाण पत्र की अवहेलना नहीं कर सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कार्यात्मक रूप से सक्षम पाए जाने पर बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण या दाखिले से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को दिव्यांग आरक्षण श्रेणी के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाए, यदि आवश्यक हो तो एक अतिरिक्त सीट बनाई जाए।		
13	2025, दिल्ली उच्च न्यायालय, बेंच	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: की धारा 40, 44, 45, 46, 81, 89, 93, 95** **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017: के नियम 2 (2), 15**	**जयंत सिंह राघव बनाम उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य रिट याचिका (सिविल) 7642/2022, सीएम याचिका 12458/2024 (पुनर्स्थापना के लिए) एवं सीएम याचिका 59114/2024** याचिकाकर्ता और एक दृष्टिबाधित व्यक्ति, ने अपने पूरे अपार्टमेंट परिसर में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सुगम्य मानकों को लागू करने की मांग की। यद्यपि हाउसिंग सोसाइटी ने याचिकाकर्ता की बिल्डिंग में सुगम्यता सुविधाओं को लागू किया था, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि आवासीय परिसर के सभी ब्लॉकों में विधिक मानकों को पूरा करने के लिए फिर से तैयार (रेट्रोफिटेड) किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस बात की जांच की कि क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अनिवार्य सुगम्य आवश्यकताओं का	• सुगम्य आवास और अवसंरचना का अधिकार	**सुगम्यता, निजी आवास, सार्वजनिक भवन**

			विस्तार निजी आवासीय परिसरों तक है। इसने माना कि वर्तमान नियम के तहत, केवल "सार्वजनिक भवन" दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धाराओं 44-46 के तहत अनिवार्य सुगम्य दायित्वों के दायरे में आते हैं। निजी आवास समितियों को, सुगम्यता अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, किन्तु कानूनी रूप से उनके लिए ऐसा करना तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक कि ऐसे भवनों को सार्वजनिक भवनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालय ने सुगम्य आवास के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन यह माना कि निजी आवासीय परिसरों में रेट्रोफिटिंग एक स्वैच्छिक आवश्यकता है, न कि वैधानिक।		
14	2025, मद्रास उच्च न्यायालय, एकल-न्यायाधीश बेंच	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 : 32**	**एस. अब्दुलखादर बनाम भारतीय संघ, प्रतिनिधित्व सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य द्वारा। 2024 की रिट याचिका संख्या 39514 और 2024 का डब्ल्यू. एम.पी.संख्या 42788 और 42789** याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु सरकार के मेडिकल कॉलेजों के लिए नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के दौरान दिव्यांगजनों के लिए 5 प्रतिशत कोटे के भीतर सांप्रदायिक (जाति-आधारित) आरक्षण के आवेदन को चुनौती दी। यह तर्क दिया गया कि दिव्यांगजनों के कोटे के ऐसे उपखंड ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 32 का उल्लंघन	• आरक्षण का अधिकार	**आरक्षण, नीट, गैर-भेदभाव, परीक्षा, प्रवेश**

			किया और क्षैतिज (होरिजेंटल) आरक्षण के गैर-भेदभावपूर्ण उद्देश्य को कमजोर कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि क्षैतिज दिव्यांगजनों के कोटे के भीतर वर्टिकल (सांप्रदायिक) आरक्षण को एकीकृत करना एक जायज नीतिगत विकल्प था। इसने सीट आवंटन प्रक्रिया में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं पाई और यह पाया कि दिव्यांगजनों के कोटे के भीतर सांप्रदायिक वर्गीकरण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिदेश का उल्लंघन नहीं करता है। प्रवेश प्रक्रिया में साम्प्रदायिक (वर्टिकल) और क्षैतिज (होरिजेंटल) आरक्षण के संयोजन की वैधता की पुष्टि करते हुए, याचिका को खारिज कर दिया गया था।		
15	2024, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, डिवीजन बेंच	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: की धारा 2 (द), 2 (ध), 32** **जम्मू और कश्मीर दिव्यांगजन अधिकार**	**सज्जाद अहमद मीर और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र एवं अन्य रिट याचिका (सिविल) संख्या 2530/2024 तथा सीएम संख्या 6854/2024** याचिकाकर्ता, नीट - यूजी 2024 अभ्यर्थियों ने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण कोटे के तहत उनके आवेदनों की अस्वीकृति को इस आधार पर चुनौती दी कि उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी, स्थायी नहीं, हालात को दर्शाते हैं।	• आरक्षण का अधिकार	**आरक्षण, नीट, बेंचमार्क दिव्यांगता, अस्थायी दिव्यांगता**

		अधिनियम नियम, 2021: नियम 26	उन्होंने तर्क दिया कि न तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और न ही जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम ने इस तरह का भेदभाव किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण केवल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (द) में परिभाषित "बेंचमार्क दिव्यांगजनों" के लिए उपलब्ध है-जिसका अर्थ है कि वे जो दीर्घकालिक या स्थायी दिव्यांग हैं। अस्थायी बाधिता आरक्षण के लिए पात्रता प्रदान नहीं करती हैं। तदनुसार, रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था, यह पुष्टि करते हुए कि बेंचमार्क दिव्यांगता दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 फ्रेमवर्क के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए एक पूर्व अनिवार्यता है।		
16	2024, केरल उच्च न्यायालय, एकल-न्यायाधीश बेंच	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 2 (द), 32, 56, 57, 58, 59** **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017: नियम**	**क्षिती पी. वी. बनाम भारत संघ, जिसका प्रतिनिधित्व इसके सचिव और अन्य ने किया 2024 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 29723,2024 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 28507 और 2024 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 29803** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत प्रमाणित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले याचिकाकर्ताओं, दिव्यांगजनों को राज्य स्तर के चिकित्सा बोर्डों द्वारा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता प्रतिशत का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद दिव्यांगता कोटे के तहत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।	• आरक्षण का अधिकार	**चिकित्सा प्रवेश, बेंचमार्क दिव्यांगता, एमबीबीएस, नीट, प्रमाणन प्राधिकारी**

		18 और 19	याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत केवल प्रमाणित करने वाले निर्दिष्ट प्राधिकारियों के पास दिव्यांगता प्रतिशत निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है। राज्य चिकित्सा बोर्ड की भूमिका पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कार्यात्मक उपयुक्तता का आकलन करने तक सीमित है, न कि दिव्यांगता प्रतिशत का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य चिकित्सा बोर्ड और राज्य समिति की कार्रवाई वैधानिक अधिकार के बिना और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के ढांचे के विपरीत थी। उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को दिव्यांगजनों के कोटे के तहत प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची में बहाल करने का निर्देश दिया और पुनर्मूल्यांकन को अमान्य घोषित कर दिया।		
17	2024, राजस्थान उच्च न्यायालय, खंड बेंच	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 3 (1), 4, 19, 21, 32, 34, 2(द), 2(ध)**	**स्टेट ऑफ राजस्थान और अन्य बनाम सुनीता और अन्य डीबी विशेष याचिका रिट सं. 2023 की 572 डीबी विशेष याचिका 2020 का रिट सं. 381, डीबी विशेष याचिका 2021 की रिट सं. 66, 241, 375, 378, 380, 445, 456, 457, 500 और 502, डीबी विशेष याचिका 2022 की रिट सं. 8, 20, 29, 32, 46, 81, 144, 145 और 146, डीबी विशेष याचिका 2024 की रिट सं. 109 और 673** याचिकाकर्ताओं, एक पैर (ओएल) में बेंचमार्क दिव्यांगजनों, को वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होने के बावजूद राजस्थान में नर्स ग्रेड II और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर चयन से बाहर रखा गया था। यह रोक किसी अन्य अंग या शरीर के हिस्से में मामूली अतिरिक्त	• रोजगार का अधिकार • गैर-भेदभाव का अधिकार	**एक पैर से दिव्यांग, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आरक्षण, गैर-भेदभाव, रोजगार**

			दिव्यांगता की उपस्थिति पर आधारित थी। उच्च न्यायालय ने माना कि इस तरह की रोक मनमानी थी और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लंघन था। एक बार जब कोई व्यक्ति अधिसूचित श्रेणी के भीतर आने वाली बेंचमार्क दिव्यांगता के साथ प्रमाणित हो जाता है, तो वह दिव्यांगता कोटे के तहत विचार करने का हकदार होता है। अतिरिक्त छोटी-मोटी खामियां तब तक बहिष्करण का आधार नहीं हो सकती हैं जब तक कि वे व्यक्ति को कार्य के लिए कार्यात्मक रूप से अयोग्य, जिसे निष्पक्षता और समान रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए, नहीं बना देती हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य को योग्य एक पैर वाले (ओ. एल.) उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए योग्यता सूची में संशोधन करने का निर्देश दिया और सार्वजनिक रोजगार में गैर-भेदभाव और समान अवसर के अधिकार की पुष्टि की।		
18	2024, मद्रास उच्च न्यायालय, एकल-न्यायाधीश	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 2**	**गुरुनाथ बनाम उप निदेशक, सार्वजनिक स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा निदेशालय और अन्य 2024 की रिट याचिका (एम.डी.) सं. 10956**	• स्वास्थ्य सेवा का अधिकार	**मानसिक बीमारी, संस्थागत देखभाल,**

	बेंच	**(ध), 3(1), 9 (2), 25, 38**	याचिकाकर्ता, जो एक दैनिक वेतनभोगी है, ने राज्य को अपने 20 वर्षीय बेटे -जो हिंसक व्यवहार से संबंधित मानसिक बीमारी के साथ रह रहा था- को एक सरकारी केंद्र में भर्ती करने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश रिट (रिट ऑफ मैंडेम्स) की मांग की, क्योंकि परिवार उसकी देखभाल का प्रबंधन करने में असमर्थ था। उच्च न्यायालय ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत, राज्य का कानूनी दायित्व है कि वह मानसिक दिव्यांगजनों के लिए सहायता, उपचार और आवास सुनिश्चित करे, खासकर तब जबकि परिवार ऐसा करने में असमर्थ हों। इसने अनुच्छेद 21 के तहत राज्य के कर्तव्य और कमजोर व्यक्तियों के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा के लिए पेरेंस पेट्रिया के सिद्धांत पर जोर दिया। उच्च न्यायालय ने राज्य को याचिकाकर्ता के बेटे को तुरंत अपनी अभिरक्षा में लेने और उसे उचित दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल और आवास प्रदान करने का निर्देश दिया।		**स्वास्थ्य का अधिकार, पेरेंस पेट्रिया, देखभाल करने वाले का समर्थन**
19	2023, केरल उच्च न्यायालय, एकल-न्यायाधीश	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: धारा 2**	**क्लाइंट जॉनसन का प्रतिनिधित्व उनके संरक्षक और मदर मैरी बनाम केरल राज्य का प्रतिनिधित्व सचिव, परिवहन (बी) विभाग सचिवालय और एक अन्य रिट याचिका (सिविल) संख्या 2013 का**	• समानता का अधिकार	**कर छूट, बौद्धिक अक्षमता, भेदभाव,**

	बेंच	**(ध), 2(य)**	**31061 ने किया।** याचिकाकर्ता, जो एक मध्यम बौद्धिक दिव्यांगता वाला व्यक्ति है, ने केरल सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी जिसमें बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को मोटर वाहन कर छूट से बाहर रखा गया था। अधिसूचना ने केवल उन व्यक्तियों को लाभ दिया जिन्हें दृष्टि या श्रवण हानि या शारीरिक दिव्यांगता थी। उच्च न्यायालय ने माना कि बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का बहिष्कार मनमाना था और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इसने पुष्टि की कि भारतीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मानसिक मंदता को दिव्यांगता के एक रूप में मान्यता देते हैं, और ऐसे व्यक्ति समान सुरक्षा और लाभों के हकदार हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य को याचिकाकर्ता को कर छूट देने और पहले से ही भुगतान की गई राशि को वापस करने का निर्देश दिया, जिससे वैधानिक लाभों तक पहुंच में बौद्धिक दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार की मिसाल कायम हुई।		**समानता, अधिकार**